संख्या-135/2018/1245/26-3-2018-14(33)/2005

प्रेषक

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 03 मई 2018

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सोनहा, लखीमपुर खीरी में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-25/142/ज.जा.वि./2018-19, दिनांक-24.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सोनहा, लखीमपुर खीरी में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसकी कार्य योजना निम्नवत् है:-

क्र0सं0	वस्तु का नाम	दर	मात्रा	कीमत
1	कम्प्यूटर	48,400/-	28	13,55,200/-
2	क्लर प्रिन्टर	28,400/-	01	28,400/-
3	लेजर प्रिन्टर	10,700/-	03	32,100/-
4	यू0पी0एस0	53,390/-	29	1,56,310
5	मल्टीफंक्शन मशीन	14,800/-	02	29,600/-
			योग	**16,01,610/-**

2- निदेशालय, जनजाति विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-02-796-01-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रूपया-1713.00 लाख (रू0 सत्रह करोड़ तेरह लाख) के सापेक्ष उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रूपया-16,01,610/- (रूपये सोलह लाख एक हजार छः सौ दस मात्र) धनराशि की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/ बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को भी यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-135/2018/1245(1)/26-3-2018- तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- राज्य योजना आयोग-1/2
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।